

प्रेस नोट थाना को0 नगर बिजनौर

थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 - 673/2020 धारा 380 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय के आदेशानुसार चलाये गये अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय व प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना को0 शहर पुलिस द्वारा दिनांक 12/10/2020 को निम्नलिखित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नजाकत उर्फ छोटू पुत्र हमीद निवासी मौ0 मिरदगान थाना कोतवाली शहर, बिजनौर हाल निवासी मौ0 शाह - विलायत कस्बा व थाना मण्डावर जिला बिजनौर
2. फारुख अहमद उर्फ चाँद पुत्र तोफीक अहमद निवासी मौ0 शाह - विलायत कस्बा व थाना मण्डावर जिला बिजनौर

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

1- थाने पर मु0अ0स0 673/2020 धारा 380 दिनांक 11/10/2020 को पंजीकृत कराया गया । जिसमें वादी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी नलकूप कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 26/08/2020 की रात्री में अपने घर में मेन गेट का ताला टूटने व अलमारीयों में रखी सभी किमती ज्वैलरी चोरी हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया है । तथा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 - 484/2020 धारा 380 भादवि0 में वादी के घर से दिनांक 10/08/2020 को राघव फार्म कालोनी चक्कर रोड निकट पराग डेरी से दो मोबाईल फोन चोरी होने के सम्बन्ध में वादी श्री प्रिन्स त्यागी द्वारा दिनांक 10/08/2020 को पंजीकृत कराया गया था ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद चैन पीली धातू
2. एक अदद गले का हार पीली धातू
3. दो अदद अगुँठी पीली धातू
4. एक जोड़ी झुमके पीली धातू
5. एक मोबाईल फोन रैंड मी 7A

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:-

1. नजाकत उर्फ छोटू पुत्र हमीद निवासी मौ0 मिरदगान थाना कोतवाली शहर, बिजनौर हाल निवासी मौ0 शाह - विलायत कस्बा व थाना मण्डावर जिला बिजनौर

- (1) मु0अ0स0 - 1879/2002 धारा 356/411 भादवि0
- (2) मु0अ0स0 - 1223/2003 धारा 457/380/411 भादवि0
- (3) मु0अ0स0 - 1337/2003 धारा 398/401/458 भादवि0
- (4) मु0अ0स0 - 3334/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
- (5) मु0अ0स0 - 503/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
- (6) मु0अ0स0 - 0073/2015 धारा 457/380/411 भादवि0
- (7) मु0अ0स0 - 673/2020 धारा 380/411 भादवि0
- (8) मु0अ0स0 - 484/2020 धारा 380/411 भादवि0

2. फारुख अहमद उर्फ चाँद पुत्र तोफीक अहमद निवासी मौ0 शाह - विलायत कस्बा व थाना मण्डावर जिला बिजनौर

- (1) मु0अ0स0 - 673/2020 धारा 380/411 भादवि0

गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों के नाम:-

1. श्री राजेश सिंह सोलंकी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर
2. उ०नि० श्री श्यामवीर सिंह प्रभारी चौकी जाटान थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर
3. उ०नि० श्री जर्जर हुसैन थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर
4. का० 69 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर
5. का० 1656 लालू सिंह थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर



नोट:- आज दिनांक 09.10.2020 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाली बैंको/संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग की गयी।





थाना कोतवाली देहात:- आज दिनांक 13.10.2020 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त रवि पुत्र त्रिलोचन निवासी बाकर नगला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना नगीना देहात:— आज दिनांक 13.10.2020 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रदीप पुत्र बलराम निवासी ग्राम रानीकोट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 271/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:— आज दिनांक 13.10.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1— कासिम अली पुत्र याद अली निवासी ग्राम बल्ला नगला 2— विवेक शर्मा पुत्र भूषण शर्मा निवासी ग्राम आमीरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

